

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

Office Order No. 17 of 2024

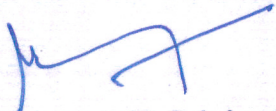
Sub : Re-designation/Looking after arrangement w.r.t. EDF(C) and EDF(RM&PPP).

Consequent upon operation of the post of EDF(RM&PPP), it has been decided to re-designate the post of EDF(C&PPP) as EDF(C) in Board's Office. Further, following would be the looking after arrangement for the post of EDF(C) & EDF(RM&PPP) during leave, tour or absence of the Officer :

S.No.	Designation	Link Officer	Remarks
1.	EDF(C)	EDF(RM& PPP)	Vice-versa

2. The above issues with the approval of competent authority.

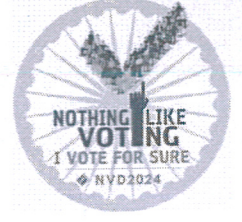
No.2024/O&M/7/9
Dated :15.04.2024


(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email_id:t.srinivas1@gov.in
Tele No. : 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Daya Basti,
New Delhi.

Copy to :

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MosR(J)



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

2024 का कार्यालय आदेश सं. 17

विषय: कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य) तथा कार्यपालक निदेशक वित्त (आरएम एवं पीपीपी) के संबंध में पदनाम पुनःनामित/कार्यभार संभालने संबंधी व्यवस्था।

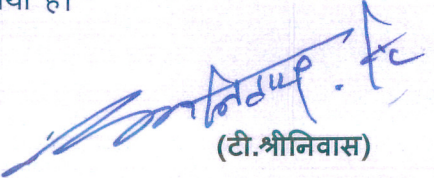
बोर्ड कार्यालय में कार्यपालक निदेशक वित्त (आरएम एवं पीपीपी) पद के संचालन के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि कार्यपालक निदेशक वित्त (सी एवं पीपीपी) के पदनाम को कार्यपालक निदेशक वित्त (सी) के रूप में पुनःनिर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, अवकाश, भ्रमण अथवा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य) तथा कार्यपालक निदेशक वित्त (आरएम एवं पीपीपी) के पद के लिए कार्यभार संभालने की व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	पदनाम	लिंक अधिकारी	टिप्पणी
1.	कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य)	कार्यपालक निदेशक वित्त (आरएम एवं पीपीपी)	विलोमतः

2. उक्त को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है।

सं.2024/ओएंडएम/7/9

दिनांक : 15.04.2024


(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

दूरभाष: 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि अग्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री(डी),
कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री(जे)